नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आम नागरिकों को विधिक साक्षरता व विधिक सहायता प्रदान करने तथा आम जन मानस में विधिक जागरूकता लाकर उनके विधिक अधिकारों व कर्त्तव्यों से उन्हे अवगत कराने के उद्देश्य से नालसा के पैराविधिक स्वयंसेवक योजना के अधीन पैरा विधिक स्वयंसेवको का चयन किया जाना है । इस संदर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्तर पर अधिकतम 50 तथा जनपद गाजीपुर के 5 तहसील विधिक सेवा समितियों – सदर, जमानियॉ ,सैदपुर, जखनियॉ ,मुहम्मदाबाद में प्रत्येक तहसील विधिक सेवा समिति स्तर पर अधिकतम 25–25 पैरा विधिक स्वयसेवकों का चयन किया जाना हैं। आवेदक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या 5 तहसील विधिक सेवा समितियों में से किसी एक तहसील विधिक सेवा समिति के लिए ही अपना आवेदन कर सकता है । तदनुसार इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।आवेदक का साक्षर होना आवश्यक है तथा हाई स्कूल पास व अन्य विशिष्ट योग्यता रखने वाले आवेदको को वरीयता दी जायेगी । उपरोक्त योग्यता के अनुसार निम्नलिखित समूहों से संबंधित कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकता है ।

1–अध्यापक (अवकाश प्राप्त अध्यापक सहित) ।

2–अवकाश प्राप्त सरकारी सेवक एवं वरिष्ठ नागरिक ।

3–एम एस डब्लू छात्र और अध्यापक ।

4–आगंनवाडी कार्यकत्री।

5–डाक्टर/फिजिशियन

6–छात्र व विधि छात्र ।

7–गैर राजनीतिक सदस्य, सेवा आधारित एन जी ओ या क्लब्स के सदस्य ।

8–महिला पड़ोस समूह या मैत्रीसंघ एवं अन्य स्वयं सेवी संगठनो, सीमान्त/असुरक्षित संगठनों से संबंधित सदस्य ।

9–लम्बी अवधि के कारावास के दण्ड से दण्डित शिक्षित एवं सद्व्यवहार रखने वाला कैदी ।

आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा/प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 10–10–2013 सायं 5 बजे तक है।उक्त समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा । आवेदक अपने आवेदन में यह भी उल्लिखित कर सकता है कि वह जिला स्तर पर, तहसील स्तर या ग्राम स्तर पर अपनी सेवा देने का इच्छुक हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पैरा विधिक स्वयंसेवक कार्य के लिये समय –समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई और वेतन, भत्ता या पारिश्रमिक देय नही होगा ।आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित चयन समिति द्वारा सक्षम योग्यता रखने वाले आवेदक को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा । साक्षात्कार की तिथि के संबंध में बाद में सूचना प्रेषित की जायेगी । आवेदन पत्र का प्रारूप नोटिस के साथ पृथक से चस्पा किया जा रहा है। नोटिस और आवेदन पत्र का प्रारूप दीवानी न्यायालय गाजीपुर के वेबसाइट **http://ghazipur.nic.in/** पर भी उपलब्ध है ।

sd/
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष ,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजीपुर ।

पैरा विधिक स्वयंसेवक हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है–

1–आवेदक का नाम–(हिन्दी में)

(अग्रेंजी के बड़े अक्षरों में)

स्वप्रमाणित फोटो यहाँ चिपकाये

2–पिता का नाम–

3–वर्तमान पता(पत्र व्यवहार का पता)

4–स्थायी पता–

5–जन्म तिथि–

6–धर्म–

7–वर्ग–(सामान्य/अति पिछडा वर्ग/अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति)––––––––––––––

8–महिला/पुरूष––––––––––––––––––––

9– (क) शैक्षिक योग्यता –

(ख) विशेष योग्यता यदि कोई हो –

(ग) पूर्व/वर्तमान कार्य का अनुभव –

10–कार्य स्थल की वरीयता/आवेदक जहॉ कार्य करने को इच्छुक हो–

(क) जनपद स्तर पर –

(ख) तहसील स्तर पर –

(ग) ग्राम स्तर पर–

11–मोबाइल नम्बर/फोन नम्बर

घोषणा पत्र– मैं –––––––––––– पुत्र श्री ––––––––––––––– घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त विवरण सही व सत्य है ।

दिनांक–

आवेदक का हस्ताक्षर